प्रकरण संख्या 1/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19/1/23	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित [illegible] प्रार्थना-पत्र स्थगन पर आदेश नहीं लिखवाया गया। आवंटन पत्रावली व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अतः तामिल अप्रार्थीगण पत्रावली [illegible] नोटिस व आवंटन पत्रावली तलब प्रार्थना-पत्र स्थगन पर आदेश हेतु दिनांक 30/1/23 को पेश हो।
	जिला कलेक्टर टोंक
30/1/23	अभिभाषक प्रार्थीगण उप0। तहसीलदार पीपलू से मौका रिपोर्ट प्राप्त। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि भू–आवंटन अभियान 1975 के तहत दिनाक 22.11.1975 को वजीरा पुत्र बरधा ढाडी निवासी अरनिया काकड के हक में आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 658 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा (0.4679 हेक्टर) एवं खसरा नम्बर 665 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अरनियां काकड तहसील टोंक हाल पीपलू का आवंटन किया गया है। उक्त भूमि पर कभी भी आवंटी का एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं रहा है,क्योकि उक्त भूमि में आवंटन से पूर्व दादिया आश्रम बना हुआ है और इस आश्रम में शरणानन्द जी महाराज वर्षो से रहते चले आ रहे है तथा इस भूमि में मोके पर गौशाला बनी हुई है जो महासती अनुसुईया गौ सेवा समिति ग्राम आरनियां कांकड, ग्राम पंचायत कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.) के नाम से पंजीकृत है,जिसके पंजीयन संख्या Coop 2021/ Tonk/200580 है। समिति के शरणानन्द जी महाराज अध्यक्ष है।उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण की गेर खातेदारी में अंकित है जिसे अब प्रतिपक्षीगण खातेदारी में अंकित करवाकर भूमि को रहन, दान, बेचान करना चाहते है। इस कारण विपक्षीगण को आवेदन के निर्णय तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त आराजी या उसके किसी भू भाग को खुर्द बुर्द रहन, बेचान नहीं करे। हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया तथा पत्रावली एंव मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। खसरा नम्बर 658 रकबा 0.4679 है0 नकल जमाबंदी सम्वत 2077–2078 वाके ग्राम अरनिया कांकड तहसील पीपलू विपक्षी संख्या 1 ता. 8 की गैर खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया जिससे प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे हो। चूकिं केस प्रथम दृष्टिया प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटन पत्रावली अप्राप्त। आवंटन पत्रावली तलब की जावे तथा तलबाना सम्मन पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की जाकर पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।
	जिला कलेक्टर टोंक